बिहार विधान परिषद्

185वां सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग – 3

बुधवार, तिथि 17 फाल्गुन, 1938 (श.)
08 मार्च, 2017 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या – 08

1.	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	-	-	02
2.	सामान्य प्रशासन विभाग	-	-	02
3.	नगर विकास एवं आवास विभाग	-	-	03
4.	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	-	-	01
			कुल योग –	08

पदाधिकारियों पर कार्रवाई

78. **श्री सतीश कुमार** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला अंतर्गत सुगौली थाना के ग्राम सपहेरिया (फुलवरिया) के पूर्व सैनिक महेश चन्द्र झा को सरकार द्वारा दो एकड़ गैरमजरूआ मालिक जमीन खाता सं.-432, खेसरा सं.-3256, मौजा फुलवरिया, थाना सुगौली को सेट्लमेन्ट के आधार पर केवल जोत एवं उत्पादन कर भरण-पोषण के लिए दिया गया था, जिसको महेश चन्द्र झा पूर्व सैनिक द्वारा उक्त सरकारी जमीन की बिक्री अवैध ढंग से केशव प्रसाद मिश्र भखलिया निवासी को बेच दी गई, जबकि उक्त जमीन की बिक्री करने का अधिकार राजस्व विभाग द्वारा नियमानुसार नहीं है;

(ख) क्या यह सही है कि अंचलाधिकारी, सुगौली, पूर्वी चम्पारण ने अपने पत्रांक 518/गो., दिनांक 04.07.2016 के माध्यम से अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर मोतिहारी को अवगत कराते हुए रद्द करने तथा विषय को महत्वपूर्ण बताया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नियम विरुद्ध सरकारी भूमि गैरमजरूआ की बिक्री को रद्द करने तथा अवैध बिक्री कराने वाले पर कार्रवाई कर सैनिक को न्याय दिलाने तथा बिक्री को रद्द कर पदाधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

अवैध कब्जे से मुक्ति

79. **श्री मंगल पाण्डेय** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार में कुल 10 हजार मंदिरों में से दो हजार ऐसे मंदिर हैं, जिनकी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया, ये सभी जमीन या तो भगवान के नाम पर हैं या फिर मठ-मंदिर प्रबंधन के नाम पर रजिस्ट्री करायी गई है;

(ख) क्या यह सही है कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड में अभी भी 400 से अधिक मामले जमीन विवाद के लंबित हैं, जिसमें 4000 एकड़ जमीन अवैध कब्जा के नाम पर है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिहार के मंदिरों के नाम अवैध रूप से जिस जमीन पर कब्जा कर लिया गया है, उसपर कार्रवाई करते हुए लंबित मामलों का निपटारा कर अवैध रूप से कब्जा की गयी जमीन को मुक्त कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

उम्र-सीमा में छूट

80. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा एकीकृत परीक्षा लिए जाने की शुरुआत से अभ्यर्थियों को लगातार उम्र एवं अवसर की क्षति उठानी पड़ती है जिससे कई होनहार विद्यार्थियों की उम्र बीत जाने के कारण वे संयुक्त सिविल परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं;

(ख) क्या यह सही है कि बी.पी.एस.सी. द्वारा एकीकृत परीक्षा लिए जाने से संयुक्त परीक्षा में छात्रों को बैठने का अवसर तो एक ही बार मिलता है लेकिन उम्र की गणना चार-पांच वर्ष की कर ली जाती है, जिससे उक्त परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों में क्षोभ व्याप्त है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के होनहार विद्यार्थियों को संयुक्त सिविल परीक्षाओं में बैठने के लिए कम से कम 5 वर्षों की उम्र-सीमा में छूट देने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

अतिक्रमण से मुक्ति

81. **श्री कृष्ण कुमार सिंह** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राजधानी पटना के लगभग सभी सड़क मार्गों की दोनों तरफ अतिक्रमणकारियों का कब्जा है;

(ख) क्या यह सही है कि 9 दिसम्बर, 2016 को पटना के बुद्धमूर्ति, कदमकुआं में अतिक्रमण हटाने के अभियान का नाटक किया गया था;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त स्थान पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा आजतक यथावत है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ठोस उपाय करके उक्त स्थान से अतिक्रमण हटाना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

सड़क का पक्कीकरण

82. **श्री केदार नाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना जिले के पूर्वी रामकृष्णा नगर में रतन लक्ष्मी गैस गोदाम के बगल वाली सड़क जो भोनू बेलदार के घर तक जाती है, अत्यंत जर्जर है;

(ख) क्या यह सही है कि सरकार अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति बहुल क्षेत्र में संपर्क पथ से जोड़ने का कल्याणकारी कदम उठा रही है, किंतु आज तक उक्त अनुसूचित जाति मुहल्ला संपर्क पथ से नहीं जुड़ पाया है;

(ग) क्या यह सही है कि आजादी के 68 साल बीतने के बाद भी अनुसूचित जाति के लोगों को पदाधिकारियों की लापरवाही से संपर्क पथ से वंचित होना पड़ रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'क' में वर्णित सड़क का पक्कीकरण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

शहर स्वच्छ कबतक

83. **डा. दिलीप कुमार चौधरी** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि दरभंगा शहर को स्वच्छ बनाने का सपना अभी तक पूरा नहीं हो सका है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त शहर के चौक-चौराहों पर कूड़े का अंबार लगा रहने के कारण कई तरह की बीमारियों का आगमन हो रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि विभागीय उदासीनता के कारण माननीय मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना सफल नहीं हो पा रही है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दरभंगा शहर को स्वच्छ बनाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

धान खरीद एवं भुगतान में विलम्ब

84. **प्रो. संजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि किसानों की धान की खरीद के लिए पैक्सों के माध्यम से धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि किसानों के धान खरीद में पैक्सों की लापरवाही के कारण विलम्ब होने से किसानों को अपनी उपज औने-पौने दाम में बिचौलियों के हाथों बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार किसानों के धान खरीद एवं भुगतान में तत्परता बरतकर धान की खरीद करना चाहती है?

धांधली वाली परीक्षाएं रद्द

85. **श्री विनोद नारायण झा** : क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य अवर सेवा चयन परिषद् (एस.एस.सी.) द्वारा पिछले तीन माह में ली गई प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पेपर लीक हुए हैं तथा भारी पैमाने पर धांधली हुई है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार एस.एस.सी. के उन परीक्षाओं को जिसमें पेपर लीक हुआ है, रद्द करने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों?

सुनील कुमार पंवार
सचिव
बिहार विधान परिषद्

पटना
दिनांक : 08 मार्च, 2017